भोपाल डिवीजनल आफ्थेलमिक सोसायटी

संशोधित तुलनात्मक पत्रक

क्र.	नियम क्र.	पूर्व नियम	वर्तमान नियम	परिणाम
01.	02.	समिति का कार्यालय – **ई–1/104, अरेरा कालोनी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल मध्यप्रदेश** में स्थित होगा।	समिति का कार्यालय – **नेत्र रोग विभाग, गांधी मेडीकल कॉलेज, भोपाल, तहसील हुजूर, जिला भोपाल मध्यप्रदेश** में स्थित होगा।	समिति के हित में
02.	03.	संस्था का कार्यक्षैत्र :– **भोपाल संभाग मध्यप्रदेश** होगा।	संस्था का कार्यक्षैत्र :– **सम्पूर्ण मध्यप्रदेश** होगा।	समिति के हित में
03.	05.	**सदस्यता**– संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होगे। **अ. संरक्षक सदस्य**– संस्था को जो व्यक्ति दान के रुप मे 1,500/– रुपये या अधिक एक मुश्त या एक साल में बारह किश्तो मे देगा वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा। **ब. आजीवन सदस्य**– जो व्यक्ति संस्था को दान के रुप मे रुपये 1,000/– या अधिक देकर वह आजीवन सदस्य बन सकेगा। कोई भी आजीवन सदस्य रुपये 1,000/– या अधिक देकर संरक्षक सदस्य बन सकता है। **स. साधारण सदस्य**– जो व्यक्ति रुपये 10/– प्रतिमाह रुपये 120/– प्रतिवर्ष संस्था को चन्दे के रुप में देगा वह साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य केवल उसी अवधि के लिए सदस्य होगा जिसके लिये उसने चन्दा दिया है जो साधारण सदस्य बिना संतोषजनक कारणो के छः माह तक देय चन्दा नही देगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी। ऐसे सदस्य द्वारा संस्था को नया आवेदन पत्र देने तथा बकाया चन्दे की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है। **द. सम्मानीय सदस्य**– संस्था की प्रबंधकारिणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिये जो भी वह उचित समझे, सम्मानीय सदस्य बना सकती है। ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते हैं परन्तु उनको मत देने का अधिकार न होगा।	**सदस्यता**– भोपाल डिविजन में निवासरत एवं कार्यरत नेत्र चिकित्सक ही सदस्य होगे डिविजन से बाहर के नेत्रचिकित्सक एसोसिएट्स सदस्य के रूप में प्रबंधकार्यकारिणी के विचार उपरांत समिलित हो सकते है परन्तु उन्हे मत देने का अधिकार नही होगा **अ. संरक्षक सदस्य**– संस्था को जो चिकित्सक दान के रुप मे रूपये 15,000/– या अधिक एक मुश्त या एक साल में बारह किश्तो मे देगा वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा। 1. वरिष्ठ एवं अनुभवी सदस्य को सामान्य सभा समिति का संरक्षक, मनोनीत कर सकती है। **ब. आजीवन सदस्य**– जो चिकित्सक संस्था को दान के रुप मे रुपये 1,500/– या अधिक राशि देगा वह आजीवन सदस्य बन सकेगा। (इस शुल्क में सामान्य सभा की बैठक में वृद्धि की जा सकती है) **स. सम्मानीय सदस्य**– संस्था की प्रबंधकारिणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिये जो भी वह उचित समझे, सम्मानीय सदस्य बना सकती है। ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते हैं परन्तु उनको मत देने का अधिकार नही होगा। **द. एसोसिएट्स सदस्य**– स्नातकोत्तर अध्यनरत चिकित्सक रूपये 1,000/– चन्दे के रूप में देगा वह एसोसिएट्स सदस्य होगे स्नातकोत्तर उपाधि/पत्रोपाधि प्राप्त करने के उपरांत वह ऊपर दर्शित सदस्यता शुल्क एवं आजीवन सदस्य के अन्तर की राशि भुगतान करने के उपरांत समिति की आजीवन सदस्यता प्राप्त करेगा। **ई. मानद आजीवन सदस्य**– वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रतिभाशाली नेत्र चिकित्सको को बनाया जा सकेगा।	समिति के हित में
04.	07.	**सदस्यों की योग्यता**– संस्था का सदस्य बनने के लिये किसी व्यक्ति मे निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है। 1. आयु 18 वर्ष से कम न हो। 2. भारतीय नागरिक हो। 3. समिति के नियमो को पालन करने की प्रतिज्ञा की हो। 4. सद्चरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो।	**सदस्यता की योग्यताऍं**– संस्था का सदस्य बनने के लिये किसी व्यक्ति मे निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है। 1. भारतीय नागरिक हो। 2. समिति के नियमो को पालन करने की प्रतिज्ञा की हो। 3. नेत्ररोग विषय में अध्यनरत चिकित्सक (ऐसोसिएट्स मेम्बर) एवं नेत्र रोग विषय में उपाधि, पत्रोपाधि प्राप्त एवं एन.एम.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त योग्यताधारी चिकित्सक हो।	समिति के हित में
05.	11.	**अ. साधारण सभा**– साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाए श्रेणी के सदस्य समावेशित होगे। साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी। परन्तु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी। बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति द्वारा निश्चित कर 15 दिवस पूर्व सूचना प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी। बैठक का कोरम 2/3 सदस्यों का होगा। संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से 3 माह के भीतर बुलाई जावेगी। जिसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत् निर्वाचन किया जाएगा। यदि संबंधित आमसभा का आयोजन किसी समय नही किया जाता है तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आम सभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियों का विधिवत् चुनाव कराया जावेगा। **ब. प्रबंधकारिणी सभा**– प्रबंधकाारिणी सभा की बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेंण्डा तथा सूचना बैठक	**अ. साधारण सभा**– साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाए श्रेणी के सदस्य समावेशित होगे। साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी। परन्तु वर्ष में एकबार बैठक अनिवार्य होगी। बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित करेगी। जिसकी सूचना 30 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी। बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा। कोरम पूर्ण न होने पर बैठक आधा घण्टा स्थगित कर उसी स्थान पर पुनः प्रारम्भ कि जा सकती है जिसमें कोरम की कोई शर्त न होगी संस्था की प्रथम आमसभा पंजीयन दिनांक से 3 माह के भीतर बुलाई जावेगी। उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत् निर्वाचन किया जावेगा। यदि संबंधित आमसभा का आयोजन किसी समय में नही किया जाता है तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आमसभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियों का विधिवत् चुनाव कराया जावेगा। 1. संविधान संशोधन 2/3 सदस्यो कि उपस्थिति में सामान्य	समिति के हित में

		दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी। बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों की होगी। यदि बैठक का कोरम पूर्ण नही हो पाता है तो बैठक एक घण्टे के लिये स्थागित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी जिसके लिये कोरम की कोई शर्त न होगी **स. विशेष–** यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यो की सख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करे तो उनके दर्शाये विषय पर विचार करने के लिए साधारण सभा की बैठक बुलाई जावेगी। विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति बैठक पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 15 दिन के भीतर भेजा जावेगा। पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति को परामर्श देने का अधिकार होगा।	सभा में प्रस्ताव पारित एवं स्वीकृति उपरांत संशोधन लागू होगा **ब. प्रबंधकारिणी सभा–** प्रबंधकाारिणी सभा की बैठक प्रत्येक 3 माह होगी तथा बैठक का एजेंण्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी को प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी। बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों की होगी। यदि बैठक का कोरम पूर्ण नही होता है तो बैठक 1/2 घण्टे के लिये स्थागित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी जिसके लिये कोरम की कोई शर्त न होगी। **स. विशेष–** यदि कम से कम कुल (कुल सदस्यो की संख्या) के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करे। तो उनके दर्शाये विषय पर विचार करने के लिए साधाराण सभा की बैठक बुलाई जावेगी। विशेष संकल्प पारित हो जाने संकल्प की प्रति बैठक पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 45 दिन के भीतर भेजा जावेगा। पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति को परामर्श देने का अधिकार होगा।	
06.	12.	**प्रबंधकारिणी का गठन**– नियम 5 (अ. ब.) मे दर्शाए गये सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हों, बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नलिखित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यो का निर्वाचन होगा :– (1) अध्यक्ष (2) उपाध्यक्ष (3) सचिव (4) कोषाध्यक्ष (5) संयुक्त सचिव एवं सदस्य–2	**प्रबंधकारिणी का गठन**– नियम 5 (अ. ब.) मे दर्शाए गये सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हों, बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नलिखित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यो का निर्वाचन होगा :– (1) अध्यक्ष–1 (2) उपाध्यक्ष–2 (3) सचिव–1 (4) कोषाध्यक्ष–1 (5) संयुक्त सचिव–1 (6) क्लीनिकल सचिव–1 (7) कार्यकारिणी सदस्य–10 (8) पदेन सदस्य–2 (एक पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व सचिव)	समिति के हित में
07.	13.	**प्रबंध समिति का कार्यकाल–** प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। समिति का यथेष्ट कारण होने पर उस समय तक जब तक कि नयी प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणो से नही हो जाता कार्य करती रहेगी, किन्तु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नही होगी जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा।	**प्रबंध समिति का कार्यकाल–** प्रबंध समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा। समिति का यथेष्ट कारण होने पर उस समय तक जब तक कि नयी प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणो से नही हो जाता कार्य करती रहेगी, किन्तु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नही होगी जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा।	समिति के हित में
08.	15.	**अध्यक्ष के अधिकार**– अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा सचिव द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा।	**अध्यक्ष के अधिकार**– अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा सचिव द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा। अध्यक्ष को विषय विशेष पर चर्चा एवं निर्णय हेतु विशेष आमांत्रित के रूप में सदस्य को आमांत्रित करने का अधिकार होगा।	समिति के हित में
09.	17.	**सचिव के अधिकार–** 2. समिति का आय–व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना 4. सचिव को किसी कार्य के लिए एक समय में रूपये 1000/– खर्च करने का अधिकार होगा।	**सचिव के अधिकार–** 2. समिति का आय–व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना एवं सचिव को कार्यकारिणी बैठक–किसी विषय पर नोटिस, सरकुलर्स निकालने/बुलाने का अधिकार पृथक से नही होगा, अध्यक्ष की अनुमति एवं सलाह, परामर्श कर कार्य करेगा। 4. सचिव को अध्यक्ष अनुमति से किसी कार्य के लिए एक समय में रूपये 10,000/– खर्च करने का अधिकार होगा।	समिति के हित में
10.	20.		**संयुक्त सचिव–** सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव उनके मार्गदर्शन में कार्य करेगे।	अतिरिक्त नियम को जोड़ा गया।
11.	21.		**क्लीनिकल सचिव–** नेत्र रोगो से संबंधित विभिन्न बीमारियों की आधुनिकतम जानकारी के विषय में समिति के सदस्यो को CME/बेविनार के द्वारा समय समय पर जानकारी एवं आधुनिकतम ज्ञान एवं शल्यक्रिया इत्यादि के बारे में अवगत कराना एवं अध्यक्ष के पूर्णतः निंदेशन में कार्य करेगा।	अतिरिक्त नियम को जोड़ा गया।
12.	22.		**पदेन सदस्य–** संस्था कार्य में समय समय पर पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व सचिव अपना मार्गदर्शन देगे।	अतिरिक्त नियम को जोड़ा गया।
13.	24.	**पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी**– अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत संस्था की वार्षिक आमसभा होने के दिनांक सें 15 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाईल की जावेगी तथा धारा 28 के अन्तर्गत संस्था की परीक्षित लेखा भेजेगी।	**पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी**– अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत संस्था की वार्षिक आमसभा होने के दिनांक सें 45 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाईल की जावेगी तथा धारा 28 के अन्तर्गत संस्था की परीक्षित लेखा भेजेगी।	समिति के हित में

भोपाल डिवीजनल आफ्थेलमिक सोसायटी

<u>कार्यकारिणी बैठक</u>

पूर्व जारी सूचना के अनुसार आज दिनांक ...../...../............... को सोसायटी के पंजीकृत कार्यालय में कार्यकारिणी बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक कोरम पूरा है बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष महोदय ने की, बैठक में निम्न सदस्यों ने अपनी उपस्थिति प्रदान कीः—

Dr. Lalit Shrivastava

Dr. Vinita Ramnani

Dr. Salil Kumar

Dr. Vivek Som

Dr. M.K. Khurrum

Dr. Ganesh Pillay

सचिव महोदय ने पूर्व में जारी एजेंडा पढ़कर सुनाया और जिसके अंतर्गत समिति विधान में संशोधन किये जाने पर विचार विमर्श कर निर्णय लेने का अनुरोध किया।

<u>प्रस्ताव</u>— समिति के विधान में संशोधन किया गया जो कि निम्न प्रकार हैः—

1. नियमावली नियम क्रमांक 02 के अनुसार संस्था का पुर्व पता :— ई—1/104, अरेरा कालोनी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल मध्यप्रदेश होगा के स्थान पर, **नया पता :—** नेत्र रोग विभाग, गांधी मेडीकल कॉलेज, भोपाल, तहसील हुजूर, जिला भोपाल मध्यप्रदेश होगा।

2. नियमावली मे नियम क्रमांक 03 के अनुसार संस्था का कार्यक्षैत्र **भोपाल संभाग मध्यप्रदेश** होगा के स्थान पर **सम्पूर्ण मध्यप्रदेश** होगा।

3. नियमावली के नियम क्रमांक 05 के अनुसार **सदस्यता**– संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होगे।

अ. संरक्षक सदस्य– संस्था को जो व्यक्ति दान के रुप मे 1,500/– रुपये या अधिक एक मुश्त या एक साल में बारह किश्तो मे देगा वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा।

ब. आजीवन सदस्य– जो व्यक्ति संस्था को दान के रुप मे रुपये 1,000/– या अधिक देकर वह आजीवन सदस्य बन सकेगा। कोई भी आजीवन सदस्य रुपये 1,000/– या अधिक देकर संरक्षक सदस्य बन सकता है।

स. साधारण सदस्य– जो व्यक्ति रुपये 10/– प्रतिमाह रुपये 120/– प्रतिवर्ष संस्था को चन्दे के रुप में देगा वह साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य केवल उसी अवधि के लिए सदस्य होगा जिसके लिये उसने चन्दा दिया है जो साधारण सदस्य बिना संतोषजनक कारणो के छः माह तक देय चन्दा नही देगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी। ऐसे सदस्य द्वारा संस्था को नया आवेदन पत्र देने तथा बकाया चन्दे की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है।

द. सम्मानीय सदस्य– संस्था की प्रबंधकारिणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिये जो भी वह उचित समझे, सम्मानीय सदस्य बना सकती है। ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते हैं परन्तु उनको मत देने का अधिकार न होगा।

<u>के स्थान पर</u>

सदस्यता– भोपाल डिविजन में निवासरत एवं कार्यरत नेत्र चिकित्सक ही सदस्य होगे डिविजन से बाहर के नेत्रचिकित्सक एसोसिएट्स सदस्य के रूप में प्रबंधकार्यकारिणी के विचार उपरांत समिलित हो सकते है परन्तु उन्हे मत देने का अधिकार नही होगा।

अ. संरक्षक सदस्य– संस्था को जो चिकित्सक दान के रुप मे रूपये 15,000/– या अधिक एक मुश्त या एक साल में बारह किश्तो मे देगा वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा।

1. वरिष्ठ एवं अनुभवी सदस्य को सामान्य सभा समिति का संरक्षक, मनोनीत कर सकती है।

ब. आजीवन सदस्य– जो चिकित्सक संस्था को दान के रुप मे रुपये 1,500/– या अधिक राशि देगा वह आजीवन सदस्य बन सकेगा। (इस शुल्क में सामान्य सभा की बैठक में वृद्धि की जा सकती है)

स. सम्मानीय सदस्य– संस्था की प्रबंधकारिणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिये जो भी वह उचित समझे, सम्मानीय सदस्य बना सकती है। ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते हैं परन्तु उनको मत देने का अधिकार नही होगा।

द. एसोसिएट्स सदस्य– स्नातकोत्तर अध्यनरत चिकित्सक रूपये 1,000/– चन्दे के रूप में देगा वह एसोसिएट्स सदस्य होगे स्नातकोत्तर उपाधि/पत्रोपाधि प्राप्त करने के उपरांत वह ऊपर दर्शित सदस्यता शुल्क एवं आजीवन सदस्य के अन्तर की राशि भुगतान करने के उपरांत समिति की आजीवन सदस्यता प्राप्त करेगा।

ई. मानद आजीवन सदस्य– वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रतिभाशाली नेत्र चिकित्सको को बनाया जा सकेगा।

4. नियमावली के नियम क्रमांक 07 के अनुसार **सदस्यों की योग्यता**– संस्था का सदस्य बनने के लिये किसी व्यक्ति मे निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है।

1. आयु 18 वर्ष से कम न हो, 2. भारतीय नागरिक हो, 3. समिति के नियमो को पालन करने की प्रतिज्ञा की हो, 4. सद्चरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो। **<u>के स्थान पर</u>**

1. भारतीय नागरिक हो, 2. समिति के नियमो को पालन करने की प्रतिज्ञा की हो, 3. नेत्ररोग विषय में अध्यनरत चिकित्सक (ऐसोसिएट्स मेम्बर) एवं नेत्र रोग विषय में उपाधि, पत्रोपाधि प्राप्त एवं एन.एम.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त योग्यताधारी चिकित्सक हो।

5. नियमावली के नियम क्रमांक 11 के अनुसार :–

अ. साधारण सभा– साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाए श्रेणी के सदस्य समावेशित होगे। साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी। परन्तु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी। बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति द्वारा निश्चित कर 30 दिवस पूर्व सूचना प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी। बैठक का कोरम 2/3 सदस्यों का होगा। संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से 3 माह के भीतर बुलाई जावेगी। जिसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत् निर्वाचन किया जाएगा। यदि संबंधित आमसभा का आयोजन किसी समय नही किया जाता है तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आम सभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियों का विधिवत् चुनाव कराया जावेगा।

ब. प्रबंधकारिणी सभा– प्रंबधकाारिणी सभा की बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेंण्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी। बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों की होगी। यदि बैठक का कोरम पूर्ण नही हो पाता है तो बैठक एक घण्टे के लिये स्थागित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी जिसके लिये कोरम की कोई शर्त न होगी

स. विशेष– विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति बैठक पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 14 दिन के भीतर भेजा जावेगा।

<u>के स्थान पर</u>

अ. साधारण सभा– साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाए श्रेणी के सदस्य समावेशित होगे। साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी। परन्तु वर्ष में एकबार बैठक अनिवार्य होगी। बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित

करेगी। जिसकी सूचना 30 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी। बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा। कोरम पूर्ण न होने पर बैठक आधा घण्टा स्थगित कर उसी स्थान पर पुनः प्रारम्भ कि जा सकती है जिसमें कोरम की कोई शर्त न होगी संस्था की प्रथम आमसभा पंजीयन दिनांक से 3 माह के भीतर बुलाई जावेगी। उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत् निर्वाचन किया जावेगा। यदि संबंधित आमसभा का आयोजन किसी समय में नही किया जाता है तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आमसभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियों का विधिवत् चुनाव कराया जावेगा।

1. संविधान संशोधन 2/3 सदस्यो कि उपस्थिति में सामान्य सभा में प्रस्ताव पारित एवं स्वीकृति उपरांत संशोधन लागू होगा

ब. प्रबंधकारिणी सभा– प्रंबधकाारिणी सभा की बैठक प्रत्येक 3 माह होगी तथा बैठक का एजेंण्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी को प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी। बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों की होगी। यदि बैठक का कोरम पूर्ण नही होता है तो बैठक 1/2 घण्टे के लिये स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी जिसके लिये कोरम की कोई शर्त न होगी।

स. विशेष– विशेष संकल्प पारित हो जाने संकल्प की प्रति बैठक पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 45 दिन के भीतर भेजा जावेगा।

6. नियमावली के नियम क्रमांक 12 के अनुसार **प्रबंधकारिणी का गठन**– नियम 5 (अ. ब.) मे दर्शाए गये सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हों, बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नलिखित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यो का निर्वाचन होगा :–

(1) अध्यक्ष (2) उपाध्यक्ष (3) सचिव (4) कोषाध्यक्ष (5) संयुक्त सचिव एवं सदस्य–2

<u>के स्थान पर</u>

(1) अध्यक्ष–1 (2) उपाध्यक्ष–2 (3) सचिव–1 (4) कोषाध्यक्ष–1 (5) संयुक्त सचिव–1 (6) क्लीनिकल सचिव–1
(7) कार्यकारिणी सदस्य–10 (8) पदेन सदस्य–2 (एक पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व सचिव)

7. नियमावली के नियम क्रमांक 13 के अनुसार **प्रबंध समिति का कार्यकाल–** प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। **<u>के स्थान पर</u>** प्रबंध समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा।

8. नियमावली के नियम क्रमांक 15 के अनुसार **अध्यक्ष के अधिकार–** अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा सचिव द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा। **<u>के स्थान पर</u> अध्यक्ष के अधिकार–** अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा सचिव द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा। अध्यक्ष को विषय विशेष पर चर्चा एवं निर्णय हेतु विशेष आमांत्रित के रूप में सदस्य को आमांत्रित करने का अधिकार होगा।

9. नियमावली के नियम क्रमांक 17 के अनुसार **सचिव के अधिकार–**

2. समिति का आय–व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना, 4. सचिव को किसी कार्य के लिए एक समय में रूपये 1000/– खर्च करने का अधिकार होगा **<u>के स्थान पर</u>** 2. समिति का आय–व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना एवं सचिव को कार्यकारिणी बैठक–किसी विषय पर नोटिस, सरकुलर्स निकालने/बुलाने का अधिकार पृथक से नही होगा, अध्यक्ष की अनुमति एवं सलाह, परामर्श कर कार्य करेगा, 4. सचिव को अध्यक्ष अनुमति से किसी कार्य के लिए एक समय में रूपये 10,000/– खर्च करने का अधिकार होगा।

10. नियमावली के नियम में एक अतिरिक्त उद्देश्य जोड़ा गया वह इस प्रकार है :–

20. **संयुक्त सचिव–** सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव उनके मार्गदर्शन में कार्य करेगे।

11. नियमावली के नियम में एक अतिरिक्त उद्देश्य जोड़ा गया वह इस प्रकार है :–

21. **क्लीनिकल सचिव–** नेत्र रोगो से संबंधित विभिन्न बीमारियों की आधुनिकतम जानकारी के विषय में समिति के सदस्यो को CME/बेविनार के द्वारा समय समय पर जानकारी एवं आधुनिकतम ज्ञान एवं शल्यक्रिया इत्यादि के बारे में अवगत कराना एवं अध्यक्ष के पूर्णतः निर्देशन में कार्य करेगा।

12. नियमावली के नियम में एक अतिरिक्त उद्देश्य जोड़ा गया वह इस प्रकार है :–

22. **पदेन सदस्य–** संस्था कार्य में समय समय पर पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व सचिव अपना मार्गदर्शन देगे।

13. नियमावली के नियम क्रमांक 24 के अनुसार **पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी–** अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत संस्था की वार्षिक आमसभा होने के दिनांक सें 15 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाईल की जावेगी **के स्थान पर पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी–** अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत संस्था की वार्षिक आमसभा होने के दिनांक सें 45 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाईल की जावेगी

ठहराव– बैठक में रखे गये उपरोक्त संशोधन प्रस्ताव को बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों से विचार विमर्श कर सहमति प्राप्त की गयी। सहमति प्राप्त कर अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सचिव के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से अनुमोदन करने का निर्णय लिया, साथ ही नियमानुसार साधारण सभा आयोजित किये जाने का निर्णय भी लिया गया।

अन्य प्रस्ताव विचारार्थ न होने कारण सभा समापन की घोषणा अध्यक्ष महोदय की सहमति प्राप्त कर की गयी।

अध्यक्ष

भोपाल डिवीजनल आफ्थेलमिक सोसायटी

साधारण सभा

पूर्व जारी सूचना के अनुसार आज दिनांक ...../...../............... को सोसायटी के पंजीकृत कार्यालय में साधारण सभा का आयोजन किया गया है। बैठक कोरम पूरा है सभा की अध्यक्षता अध्यक्ष महोदय ने की बैंठक में निम्न ने सदस्यों ने अपनी उपस्थिति प्रदान कीः–

Dr. Lalit Shrivastava

Dr. Vinita Ramnani

Dr. Salil Kumar

Dr. Vivek Som

Dr. M.K. Khurrum

Dr. Ganesh Pillay

सचिव महोदय ने पूर्व में जारी एजेंडा पढ़कर सुनाया और जिसके अंतर्गत समिति विधान में संशोधन किये जाने पर विचार विमर्श कर निर्णय लेने का अनुरोध किया।

प्रस्ताव– समिति के विधान में संशोधन किया गया जो कि निम्न प्रकार हैः–

1. नियमावली नियम क्रमांक 02 के अनुसार संस्था का पुर्व पता :– ई–1/104, अरेरा कालोनी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल मध्यप्रदेश होगा के स्थान पर, **नया पता :–** नेत्र रोग विभाग, गांधी मेडीकल कॉलेज, भोपाल, तहसील हुजूर, जिला भोपाल मध्यप्रदेश होगा।

2. नियमावली मे नियम क्रमांक 03 के अनुसार संस्था का कार्यक्षैत्र **भोपाल संभाग मध्यप्रदेश** होगा के स्थान पर **सम्पूर्ण मध्यप्रदेश** होगा।

3. नियमावली के नियम क्रमांक 05 के अनुसार **सदस्यता**– संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होगे।

   अ. संरक्षक सदस्य– संस्था को जो व्यक्ति दान के रुप मे 1,500/– रुपये या अधिक एक मुश्त या एक साल में बारह किश्तो मे देगा वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा।

ब. आजीवन सदस्य– जो व्यक्ति संस्था को दान के रुप मे रुपये 1,000/– या अधिक देकर वह आजीवन सदस्य बन सकेगा। कोई भी आजीवन सदस्य रुपये 1,000/– या अधिक देकर संरक्षक सदस्य बन सकता है।

स. साधारण सदस्य– जो व्यक्ति रुपये 10/– प्रतिमाह रुपये 120/– प्रतिवर्ष संस्था को चन्दे के रुप में देगा वह साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य केवल उसी अवधि के लिए सदस्य होगा जिसके लिये उसने चन्दा दिया है जो साधारण सदस्य बिना संतोषजनक कारणो के छः माह तक देय चन्दा नही देगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी। ऐसे सदस्य द्वारा संस्था को नया आवेदन पत्र देने तथा बकाया चन्दे की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है।

द. सम्मानीय सदस्य– संस्था की प्रबंधकारिणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिये जो भी वह उचित समझे, सम्मानीय सदस्य बना सकती है। ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते हैं परन्तु उनको मत देने का अधिकार न होगा।

<u>के स्थान पर</u>

सदस्यता– भोपाल डिविजन में निवासरत एवं कार्यरत नेत्र चिकित्सक ही सदस्य होगे डिविजन से बाहर के नेत्रचिकित्सक एसोसिएट्स सदस्य के रूप में प्रबंधकार्यकारिणी के विचार उपरांत समिलित हो सकते है परन्तु उन्हे मत देने का अधिकार नही होगा।

अ. संरक्षक सदस्य– संस्था को जो चिकित्सक दान के रुप मे रूपये 15,000/– या अधिक एक मुश्त या एक साल में बारह किश्तो मे देगा वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा।

1. वरिष्ठ एवं अनुभवी सदस्य को सामान्य सभा समिति का संरक्षक, मनोनीत कर सकती है।

ब. आजीवन सदस्य– जो चिकित्सक संस्था को दान के रुप मे रुपये 1,500/– या अधिक राशि देगा वह आजीवन सदस्य बन सकेगा। (इस शुल्क में सामान्य सभा की बैठक में वृद्धि की जा सकती है)

स. सम्मानीय सदस्य– संस्था की प्रबंधकारिणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिये जो भी वह उचित समझे, सम्मानीय सदस्य बना सकती है। ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते हैं परन्तु उनको मत देने का अधिकार नही होगा।

द. एसोसिएट्स सदस्य– स्नातकोत्तर अध्यनरत चिकित्सक रूपये 1,000/– चन्दे के रूप में देगा वह एसोसिएट्स सदस्य होगे स्नातकोत्तर उपाधि/पत्रोपाधि प्राप्त करने के उपरांत वह ऊपर दर्शित सदस्यता शुल्क एवं आजीवन सदस्य के अन्तर की राशि भुगतान करने के उपरांत समिति की आजीवन सदस्यता प्राप्त करेगा।

ई. मानद आजीवन सदस्य– वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रतिभाशाली नेत्र चिकित्सको को बनाया जा सकेगा।

4. नियमावली के नियम क्रमांक 07 के अनुसार **सदस्यों की योग्यता**– संस्था का सदस्य बनने के लिये किसी व्यक्ति मे निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है।

1. आयु 18 वर्ष से कम न हो, 2. भारतीय नागरिक हो, 3. समिति के नियमो को पालन करने की प्रतिज्ञा की हो, 4. सद्चरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो। **<u>के स्थान पर</u>**

1. भारतीय नागरिक हो, 2. समिति के नियमो को पालन करने की प्रतिज्ञा की हो, 3. नेत्ररोग विषय में अध्यनरत चिकित्सक (ऐसोसिएट्स मेम्बर) एवं नेत्र रोग विषय में उपाधि, पत्रोपाधि प्राप्त एवं एन.एम.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त योग्यताधारी चिकित्सक हो।

5. नियमावली के नियम क्रमांक 11 के अनुसार :–

अ. साधारण सभा– साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाए श्रेणी के सदस्य समावेशित होगे। साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी। परन्तु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी। बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति द्वारा निश्चित कर 30 दिवस पूर्व सूचना प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी। बैठक का कोरम 2/3 सदस्यों का होगा। संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से 3 माह के भीतर बुलाई जावेगी। जिसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत् निर्वाचन किया जाएगा। यदि संबंधित आमसभा का आयोजन किसी समय नही किया जाता है तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आम सभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियों का विधिवत् चुनाव कराया जावेगा।

ब. प्रबंधकारिणी सभा– प्रंबधकाारिणी सभा की बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेंण्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी। बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों की होगी। यदि बैठक का कोरम पूर्ण नही हो पाता है तो बैठक एक घण्टे के लिये स्थागित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी जिसके लिये कोरम की कोई शर्त न होगी

स. विशेष– विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति बैठक पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 14 दिन के भीतर भेजा जावेगा।

<u>के स्थान पर</u>

अ. साधारण सभा– साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाए श्रेणी के सदस्य समावेशित होगे। साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी। परन्तु वर्ष में एकबार बैठक अनिवार्य होगी। बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित करेगी। जिसकी सूचना 30 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी। बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा। कोरम पूर्ण न होने पर बैठक आधा घण्टा स्थगित कर उसी स्थान पर पुनः प्रारम्भ कि जा सकती है जिसमें कोरम की कोई शर्त न होगी संस्था की प्रथम आमसभा पंजीयन दिनांक से 3 माह के भीतर बुलाई जावेगी। उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत् निर्वाचन किया

जावेगा। यदि संबंधित आमसभा का आयोजन किसी समय में नही किया जाता है तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आमसभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियों का विधिवत् चुनाव कराया जावेगा।

1. संविधान संशोधन 2/3 सदस्यो कि उपस्थिति में सामान्य सभा में प्रस्ताव पारित एवं स्वीकृति उपरांत संशोधन लागू होगा

ब. प्रबंधकारिणी सभा– प्रबंधकाारिणी सभा की बैठक प्रत्येक 3 माह होगी तथा बैठक का एजेंण्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी को प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी। बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों की होगी। यदि बैठक का कोरम पूर्ण नही होता है तो बैठक 1/2 घण्टे के लिये स्थागित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी जिसके लिये कोरम की कोई शर्त न होगी।

स. विशेष– विशेष संकल्प पारित हो जाने संकल्प की प्रति बैठक पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 45 दिन के भीतर भेजा जावेगा।

6. नियमावली के नियम क्रमांक 12 के अनुसार **प्रबंधकारिणी का गठन**– नियम 5 (अ. ब.) मे दर्शाए गये सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हों, बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नलिखित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यो का निर्वाचन होगा :–

(1) अध्यक्ष (2) उपाध्यक्ष (3) सचिव (4) कोषाध्यक्ष (5) संयुक्त सचिव एवं सदस्य–2

<u>के स्थान पर</u>

(1) अध्यक्ष–1 (2) उपाध्यक्ष–2 (3) सचिव–1 (4) कोषाध्यक्ष–1 (5) संयुक्त सचिव–1 (6) क्लीनिकल सचिव–1
(7) कार्यकारिणी सदस्य–10 (8) पदेन सदस्य–2 (एक पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व सचिव)

7. नियमावली के नियम क्रमांक 13 के अनुसार **प्रबंध समिति का कार्यकाल–** प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। **<u>के स्थान पर</u>** प्रबंध समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा।

8. नियमावली के नियम क्रमांक 15 के अनुसार **अध्यक्ष के अधिकार–** अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा सचिव द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा। **<u>के स्थान पर</u> अध्यक्ष के अधिकार–** अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा सचिव द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा। अध्यक्ष को विषय विशेष पर चर्चा एवं निर्णय हेतु विशेष आमांत्रित के रूप में सदस्य को आमांत्रित करने का अधिकार होगा।

9. नियमावली के नियम क्रमांक 17 के अनुसार **सचिव के अधिकार–**

2. समिति का आय–व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना, 4. सचिव को किसी कार्य के लिए एक समय में रूपये 1000/– खर्च करने का अधिकार होगा **<u>के स्थान पर</u>** 2. समिति का आय–व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना एवं सचिव को कार्यकारिणी बैठक–किसी विषय पर नोटिस, सरकुलर्स निकालने/बुलाने का अधिकार पृथक से नही होगा, अध्यक्ष की अनुमति एवं सलाह, परामर्श कर कार्य करेगा, 4. सचिव को अध्यक्ष अनुमति से किसी कार्य के लिए एक समय में रूपये 10,000/– खर्च करने का अधिकार होगा।

10. नियमावली के नियम में एक अतिरिक्त उद्देश्य जोड़ा गया वह इस प्रकार है :–

20. **संयुक्त सचिव–** सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव उनके मार्गदर्शन में कार्य करेगे।

11. नियमावली के नियम में एक अतिरिक्त उद्देश्य जोड़ा गया वह इस प्रकार है :–

21. **क्लीनिकल सचिव–** नेत्र रोगो से संबंधित विभिन्न बीमारियों की आधुनिकतम जानकारी के विषय में समिति के सदस्यो को CME/बेविनार के द्वारा समय समय पर जानकारी एवं आधुनिकतम ज्ञान एवं शल्यक्रिया इत्यादि के बारे में अवगत कराना एवं अध्यक्ष के पूर्णतः निंदेशन में कार्य करेगा।

12. नियमावली के नियम में एक अतिरिक्त उद्देश्य जोड़ा गया वह इस प्रकार है :–

22. **पदेन सदस्य–** संस्था कार्य में समय समय पर पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व सचिव अपना मार्गदर्शन देगे।

13. नियमावली के नियम क्रमांक 24 के अनुसार **पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी–** अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत संस्था की वार्षिक आमसभा होने के दिनांक सें 15 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाईल की

जावेगी **<u>के स्थान पर</u> पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी–** अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत संस्था की वार्षिक आमसभा होने के दिनांक सें 45 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाईल की जावेगी।

<u>ठहराव</u> :– बैठक में रखे गये उपरोक्त संशोधन प्रस्ताव को बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों से विचार विमर्श कर सहमति प्राप्त की गयी। सहमति प्राप्त कर अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सचिव के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से अनुमोदन करने का निर्णय लिया, साथ ही नियमानुसार विशेष साधारण सभा आयोजित किये जाने का निर्णय भी लिया गया।

अन्य प्रस्ताव विचारार्थ न होने कारण सभा समापन की घोषणा अध्यक्ष महोदय की सहमति प्राप्त कर की गयी।

अध्यक्ष

भोपाल डिवीजनल आफ्थेलमिक सोसायटी

विशेष साधारण सभा

पूर्व जारी सूचना के अनुसार आज दिनांक ...../...../............... को सोसायटी के पंजीकृत कार्यालय में विशेष साधारण सभा का आयोजन किया गया है। बैठक कोरम पूरा है बैठक की अध्यक्षता श्री विशाल स्वामी ने की, बैठक में निम्न सदस्यों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की:–

Dr. Lalit Shrivastava

Dr. Vinita Ramnani

Dr. Salil Kumar

Dr. Vivek Som

Dr. M.K. Khurrum

Dr. Ganesh Pillay

सचिव महोदय ने पूर्व में जारी एजेंडा पढ़कर सुनाया और विचार विमर्श कर निर्णय लेने का अनुरोध किया।

प्रस्ताव– कार्यकारिणी बैठक दिनांक **20/11/2018** व साधारण सभा दिनांक **25/12/2018** में स्वीकृत संशोधन के अनुमोदन हेतु।

ठहराव– अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सचिव महोदय के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का बैठक में उपस्थित सदस्यगणों द्वारा विचार विमर्श एवं अध्ययन करने के उपरान्त, सर्वसम्मति से अनुमोदन करने का निर्णय लिया, साथ ही नियमानुसार संशोधन प्रस्ताव तैयार कराकर रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थायें से अनुमोदन प्राप्त करने की कार्यवाही कराने के लिये सर्वसम्मति से अध्यक्ष को अधिकृत किया गया।

अंततः विचारार्थ प्रस्ताव न होने के कारण अध्यक्ष अनुमति से सभा समापन की घोषणा की गयी।

अध्यक्ष

प्रारूप 4
(नियम 9 देखिये)
मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 की धारा 10 तथा 13 के अधीन आवेदन

1.	सोसायटी का नाम तथा पूरा पता	– **भोपाल डिवीजनल आफ्थेलमिक सोसायटी** – ई–1/104, अरेरा कालोनी, भोपाल, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.)
2.	रजिस्ट्रीकरण क्रमांक एवं दिनांक	– 01/01/01/20756/09 दिनांक 28/08/2009
3.	वर्तमान सदस्यो की कुल संख्या	– संलग्न है
4.	सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण विनियम के किस विनयम के अधीन संशोधन प्रस्तावित है।	– कंडिका क्रमांक 21 के अधीन
5.	संशोधन प्रस्ताव कार्यकारिणी की किस तारीख के सम्मिलन पारित हुआ सम्मिलन की सूचना कितने सदस्यो को दी गई तथा गणपूर्ति क्या रही।	– ...../....../.............
7.	साधारण सम्मिलन की तारीख क्या है तथा सम्मिलन किस नियम के अधीन बुलाया गया, सूचना कितने दिनों की दी गई, कितने सदस्य उपस्थित रहे तथा सम्मिलन की गणपूर्ति क्या थी।	– ...../....../.............
8.	संशोधन प्रस्ताव तथा संशोधन नियमो तथा विनियमो की तीन प्रतिया प्रत्येक पृष्ठ पर कार्यकारिणी के तीन सदस्यो द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित पूर्ण ब्यौरो सहित प्रस्तुत करे ऐसे नियमो जिनके खण्ड मे संशोधन प्रस्तावित है को दर्शाते हुए विद्यमान उपबन्धो तथा कारणो सहित संशोधन का तुलनात्मक चार्ट भी कृपया प्रस्तुत करे।	– संलग्न है
9.	ज्ञापन तथ विनियमों में संशोधन हेतु विहित फीस रूपये 2000/–रसीद क्रमांक .... की मूलप्रति संलग्न है।	– आवेदन पत्र के साथ संलग्न है

मै **डॉ ललित श्रीवास्तव** पिता/पति .... आयु ..... वर्ष निवासी जिला देवास पदनाम अध्यक्ष एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त समस्त जानाकरी मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य है और मे यह जानता हूँ कि कोई मिथ्या जानकारी देना अधिनियम की धारा 38(2) के अधीन दण्डनीय होगा।

हस्ताक्षर

भोपाल डिवीजनल आफ्थेलमिक सोसायटी

ई–1/104, अरेरा कालोनी, भोपाल, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.)

प्रति,

सहायक पंजीयक,

रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थायें

संभाग नर्मदापुरम,

पुराना सचिवालय, भोपाल(म.प्र.)

विषय :– संशोधन करने बावत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतगर्त लेख है कि संस्था **भोपाल डिवीजनल आफ्थेलमिक सोसायटी** जो ई–1/104, अरेरा कालोनी, भोपाल, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.) मे स्थित है, जिसका पंजीयन क्र. 01/01/01/20756/09 दिनांक 28/08/2009 है। जसकी नियमावली एवं ज्ञापन मे संशोधन के अंतर्गत समस्त जानकारी निर्धारित प्रारूप मे शुल्क 2000/– क्रमांक दिनांक ...../...../2020 चालान की मूलप्रति सहित आपके कार्यालय मे प्रस्तुत है।

अतः महोदय जी से निवेदन है, कि उक्त प्रस्ताव को स्वीकृत करने का कष्ट करे ।

धन्यवाद

संलग्न– अध्यक्ष

समस्त प्रपत्र।

चालान रूपये 2000/– की मूलप्रति। **डॉ ललित श्रीवास्तव**